प्रेस विज्ञप्ति

06 अक्टूबर, 2015

रणदीप सिंह सुरजेवाला, कम्युनिकेशंस इन्चार्ज, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेसवार्ता में निम्न बयान जारी किया :–

''प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय राजनीति को प्रदूषित करने में सबसे आगे है। आरएसएस के सफेद झूठ, बेबुनियाद अफवाहें और विभाजनकारी बयान भारत की राजनीति में नित नए जहर घोल रहे हैं।

(1) 'पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति' की समीक्षा की मांग (http://post.jagran.com/Mohan-Bhagwat-pitches-for-review-of-quota-policy-1442812764); (2) मदर टेरेसा के द्वारा लोगों की सेवा को उन्हें क्रिश्चियन धर्म में बदलने का षडयंत्र कहने (http://www.ibnlive.com/videos/full/india/news-360-622-969302.html) ; (3) महात्मा गांधी पर भारत के विभाजन के लिए झुक जाने का आरोप लगाने (https://www.youtube.com/watch?v=4c0tNB8mur4) ; (4) सिख, जैन और बौद्धों के अल्पसंख्यक स्टेटस को वापस लेने की मांग (http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/RSS-criticizes-minority-status-to-Jains-Sikhs-and-Buddhists/articleshow/39528702.cms) ; (5) महिलाओं को वस्तु बनाने और यह कहने कि एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, क्योंकि शादी एक समझौता है (http://indiatoday.intoday.in/story/rss-mohan-bhagwat-at-it-again-says-women-should-be-just-housewives-and-husbands-should-be-the-breadwinners/1/241008.html); (2) यह कहने कि गोडसे को गांधी की जगह नेहरु को मारना चाहिए था http://www.dnaindia.com/india/report-congress-slams-bjp-over-controversial-rss-piece-in-kesari-wants-narendra-modi-to-clarify-2029107 ; और (7) यह कहने, कि बलात्कार 'इंडिया' में होते हैं 'भारत' में नहीं (http://kafila.org/2013/01/04/rss-rapist-suraksha-sangh-rapist-security-society/); इस तरह के जहरीले बयान आरएसएस उन लोगों के खिलाफ रोज ही दे रही है, जो इसकी संकीर्ण और कुंठित मानसिकता का विरोध करते हैं।

आरएसएस के 'ऑर्गेनाईज़र' में कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ झूठ की नई पोटली पेश की गई है। सांसदों के वेतन और भत्ते 'संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954' के द्वारा निर्धारित होते हैं। इसका सेक्शन 3 लोकसभा के सभी सांसदों के लिए पांच सालों के उनके कार्यकाल के दौरान 50,000 रु. प्रतिमाह का वेतन निर्धारित करता है। इसके अलावा संसद के सत्र के दौरान संसद सचिवालय के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने पर प्रत्येक दिन की मौजूदगी के लिए प्रत्येक सांसद को 2000 रु. प्रतिदिन का भत्ता दिया जाता है। सेक्शन 3 निम्नलिखित है :–

''3. वेतन और दैनिक भत्ते – एक सदस्य को उसके ऑफिस के पूरे कार्यकाल के दौरान प्रतिमाह पचास हजार रु. की दर से वेतन दिया जाएगा और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुसार उसे अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहने के लिए दो हजार रु. प्रतिदिन की दर से भत्ता दिया जाएगा।

कोई भी सदस्य यह भत्ता तभी पाएगा, जब वह सचिवालय के द्वारा इस कार्य के लिए रखे गए रजिस्टर में संसद के सत्र के दौरान उपस्थित रहते हुए प्रतिदिन हस्ताक्षर करेगा (इसमें वो दिन शामिल नहीं हैं, जिन दिनों छुट्टी होती है या हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती है)।

इस सेक्शन में बताई गई वेतन की यह दर 18 मई, 2010 से लागू होगी।''

कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने उस समय के लिए कोई भी भत्ता नहीं लिया है, जब वो संसद में मौजूद नहीं थे। आरएसएस दुर्भावना के साथ इस सफेद झूठ का प्रचार कर रही है।

यदि आरएसएस अपने झूठ के प्रचार के लिए इतनी आतुर है, तो इसे पहले अपने प्रचारक प्रधानमंत्री, उनके मंत्रियों और भाजपा–एनडीए के मंत्रियों से प्रश्न पूछना चाहिए, कि उन्होंने 16 वीं लोकसभा के दौरान उन दिनों के लिए वेतन और भत्ते क्यों लिए, जब वो लोकसभा/राज्यसभा में उपस्थित हुए ही नहीं थे और पिछली लोकसभा/राज्यसभा में भी उन्होंने उपस्थित न होने पर भी वेतन और भत्ते क्यों लिए।''

रणदीप सिंह सुरजेवाला